न्यायालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/133/2022	2022/428	30.09.2022	20.05.2024

1. लल्लूराम गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल गुप्ता, जाति वैश्य उम्र 79 साल, निवासी मकान नं0 431, लाजपत नगर, स्कीम नं0 2 अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री लल्लूराम गुप्ता जाति वैश्य उम्र करीब 54 साल, निवासी 431, लाजपत नगर, स्कीम नं0 2 अलवरर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय भरण—पोषण अधिकरण कम उपखण्ड मजिस्ट्रेटए अलवर प्रकरण संख्या 03/28/2021 बउनवान लल्लूराम गुप्ता बनाम महेन्द्र कुमार गुप्ता आदेश दिनांक 08.09.2022

उपस्थितः—
01. श्री शिवचरण शर्मा —वकील अपीलांट
02. श्री संजीव कारगवाल —वकील रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा—23 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 08.09.2022, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 08.09.2022 विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ अधिकरण का आदेश Contrary to Law And Procedure होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ अधिकरण का निर्णय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी के जवाब की कट कॉपी पेस्ट का जीता जागता उदाहरण है। अधिनस्थ अधिकरण ने निर्णय पारित करने में अपना ज्यूडिशियल माईण्ड कतई अप्लाई नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूदा दस्तावेजात व कानूनी निर्णयों व प्रावधानों के विपरीत अपना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट का मामला बेदखली का है इसलिए माता—पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण व कल्याण अधि0 2007 के तहत उक्त बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया जा सकता और वरिष्ठ नागरिकों की भरण पोषण अधि0 की धारा 23 में बेदखली का कहीं उल्लेख नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है जबकि प्रार्थी अपीलान्ट ने उक्त बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की नजीरें पेश की थी जिनमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण व कल्याण अधि0 2007 की धारा 23 के तहत पुत्र से माता पिता का मकान खाली कराया गया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नजीरों पर ना तो कोई टिप्पणी की ना ही उनको नहीं मानने का कारण अंकित किया है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा अपने न्यायिक निर्णय दिनांक 18.10.2019 D.B. Special Apeal (Wirit) No. 920/2019 Titled Raksh Soni & Ors. V/s Premlata Soni And Ors.) में स्पष्ट रूप से यह माना है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधि0 2007 की धारा 23 के तहत पुत्र से मकान खाली कराया जा सकता है और अपने निर्णय में अधिनस्थ अदालत के उक्त एक्ट के तहत माकन खाली कराने के निर्णय को सही माना है जिस आदेश की प्रति मिन अपीलांट द्वारा अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी जिनका उल्लेख भी अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में किया गया है। इसके बावजूद उच्चतर न्यायालय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डबल बैंच जयपुर की नजीर को दरकिनार करके अधिनस्थ अधिकरण ने एक प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय की अवहेलना की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय D.B. Special Apeal (Writ) No- 920/2019 Titled Rakesh Soni & Ors- v/s Premlata Soni and Ors) की प्रति अपील हाजा के साथ भी प्रस्तुत है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच द्वारा हाल ही अपने निर्णय दिनांक 07.04. 2022 SB Civil Writ Petition No. 6089/2019 Titled Suresh Sharma v/s Dhanwanti Sharma में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधि. 2007 की धारा 23 के तहत माता–पिता द्वारा अपने पुत्र व बहु से मकान खाली कराया जाना न्यायोचित है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने Senior Citizen Tribunal (SDO) Jaipur City के द्वारा पारित आदेश जिसमें पुत्र से माता का मकान खाली कराये जाने के आदेश दिये थे, को सही ठहराया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में पुत्र को 30 दिवस में मकान खाली कर खाली मकान का कब्जा माता को संभालने के आदेश पारित किये हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की नजीर मिन प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जिनका उल्लेख भी अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में किया गया है इसके बावजूद उच्चतर न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर को दरकिनार करके अधिनस्थ अधिकरण ने एक प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय की अवहेलना की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय SB Civil Writ Petition No-6089/2019 Title Suresh Sharma v/s Dhanwanti Sharma की प्रति अपील हाजा के साथ भी प्रस्तुत है। माननीय देहली उच्च न्यायालय द्वारा 15 मार्च 2017 को अपने निर्णय Sunny Paul And vs State NCT of Delhi Writ Petition WP(C) 10463/2015 And CM Application 43227/ 2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधि. 2007 की धारा 23 के तहत बेदखली के आदेश दिया जाना न्यायोचित है और देहली उच्च न्यायालय द्वारा अपने इस आदेश में भरण पोषण अधिकरण (Central District) देहली के मकान खाली कराने के आदेश को सही ठहराया। उक्त आदेश की नजीर मिन प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी जिनका उल्लेख भी अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में किया गया है इसके बावजूद उच्चतर न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय की नजीर को दरकिनार करके अधिनस्थ अधिकरण ने एक प्रकार से दिल्ली उच्च न्यायालय की अवहेलना की है। देहली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय Sunny Paul and Anr vs State NCT of Delhi Writ Petition WP(C)) 10463/2015 and CM Application 43227/2016 की प्रति अपील हाजा के साथ भी प्रस्तुत है जो Annexure-3 है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय (अधिकरण) का आदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधि. 2007 की मंशा के विपरीत आदेश पारित किया गया है जिस आदेश में वरिष्ठ नागरिक वृद्ध पिता एवं माता के कल्याण एवं रिहायश हेतु कोई आदेश पारित ही नहीं किये गये बल्कि वृद्ध माता पिता को अपना स्वयं का खरीदशुदा व निर्मित

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मकान होते हुए भी अपने मकान से महरूम कर बाहर रहने को मजबूर कर दिया है जबकि अधिनस्थ अधिकरण को अधिनियम की मंशा के अनुरूप प्रार्थी अपीलांट वृद्ध दम्पत्ति के सम्मानजनक जीवनयापन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि प्रार्थी अपीलांट एक 78 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है व उसकी पत्नी केसर देवी 75 वर्षीय वृद्ध महिला है। दोनों पति पत्नी बेहद वृद्ध व्यक्ति हैं और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है। प्रार्थी न्यूरो प्रोबलम्स, स्लिप डिस्क, ब्लड प्रेशर व डायबिटिज नामक गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और पिछले काफी समय से दवाइयों के भरोसे पर जिंदा है। वहीं प्रार्थी की पत्नी केसर देवी भी ब्लड प्रेशर, डायविटिज व हार्ट की गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। जो दोनों दम्पत्ति सही ढंग से चलने फिरने में भी असमर्थ है। उनको उम्र के इस पड़ाव में अपने स्वयं के निजी खरीदशुदा व निर्मित मकान के होते हुए भी बेमन से दूसरी जगह मजबूरन रहना पड़ रहा है। चूंकि अपीलांट दम्पत्ति बेहद बुजुर्ग हैं जो अपने खूंखार एवं हिंसक प्रवृत्ति के पुत्र से लड़ने में असमर्थ हैं। वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा व कल्याण हेतु ही बनाया गया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया, कि प्रार्थी अपीलांट राजकीय सेवा में रहा है। प्रार्थी का सन् 2001 में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पद से पीएचईडी विभाग से रिटायरमेंट हुआ है। प्रार्थी अपीलांट पीएचईडी विभाग में सन् 1963 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हुए थे। मिन प्रार्थी अपीलांट ने अपनी राजकीय सेवा में नौकरी लगने के करीब 12 वर्ष बाद प्लॉट नं. 431, स्कीम नं. 2 अलवर को अपनी स्वयं की निजी आय से सन् 1975 में नगर विकास न्यास, अलवर से खरीद किया था। प्रार्थी ने सन् 1980 में शुरूआत में उक्त प्लॉट में रहने लायक बेसिक निर्माण कर उसमें रहने लगा। उसके बाद प्रार्थी अपीलांट ने सन् 1990 में (नौकरी लगने के 27 वर्ष बाद) नगर विकास न्यास, अलवर से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर स्वयं की निजी कमाई से उक्त मकान को ढंग से नक्शानुसार निर्माण करवाया जिसके ग्राउण्ड फ्लोर पर 6 कमरे, 2 रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, सीढ़ियां, गैराज बनाया हुआ है व बाद में प्रथम मंजिल पर एक कमरा व वॉशरूम बनाया हुआ है। उस वक्त प्रार्थी के सभी बच्चे छोटे थे। वर्तमान में प्रार्थी अपीलांट के उक्त भवन में वे ही निर्माणात मौजूद हैं कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रार्थी अपीलांट के मकान नं. 431, स्कीम नं. 2 अलवर में जो निर्माणात कराये हुए हैं वो सभी मिन अपीलांट द्वारा ही कराये गये हैं। इस प्रकार मकान नं. 431, स्कीम नं. 2 अलवर प्रार्थी अपीलांट का स्वयं का खरीदशुदा व निर्मित मकान है जिसकी लीज डीड (पट्टा) भी प्रार्थी अपीलांट लल्लूराम के नाम है। अपीलांट ही इस प्रकार उक्त मकान का पूर्णरूपेण मालिक है जो अपीलांट की स्वःअर्जित जायदाद है। जिसके दस्तावेजात भी अधिनस्थ अधिकरण में पेश किये गये परन्तु अधिनस्थ अधिकरण ने गौर नहीं किया। प्रार्थी अपीलांट ने अपने बड़े पुत्र महेन्द्र (रेस्पोडेंट) को उसकी पत्नी व बच्चे के रहने के लिए उक्त मकान नं. 431, स्कीम नं. 2. अलवर में उत्तर दिशा में स्थित दो कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरून दिये थे व दूसरे पुत्र लवेश को भी उक्त भवन में 2 कमरे दिये हुए थे, शेष कमरों, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, ऊपरी मंजिल का कमरा, वॉशरूम आदि प्रार्थी अपने काम में ले रहा था। रेस्पोडेंट अपनी पत्नी व बच्चे के साथ अपीलांट की मौखिक सहमति से प्रार्थी के उक्त मकान के उत्तर दिशा में स्थित दो कमरे रसोई में रह रहा है व कुछ समय पूर्व रेस्पोडेंट ने प्रार्थी के मकान में स्थित गैराज में प्रार्थी की मौखिक सहमति से इण्डियन गैस एजेन्सी का ऑफिस खोला हुआ है जिस ऑफिस को खोलने की मौखिक सहमति अप्रार्थी रेस्पोडेंट ने इस शर्त पर ली थी कि साल–छः महिने बाद वह इस ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा। जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट की तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए अपनी मौखिक सहमति दी थी। इस प्रकार अपीलांट ने अपने बड़े पुत्र (रेस्पोडेंट) को अपने उक्त मकान में रहने की मौखिक सहमति को वापस लिये जाने के बाद भी वह उक्त परिसर को खाली नहीं कर रहा जिस पर अधिनस्थ अधिकरण ने गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट ने घर में गैस एजेन्सी का ऑफिस खोला हुआ है जिसमें तरह तरह के बाहरी व्यक्ति घर में घुसते हैं जिससे घर में भारी शोरशराबा होता है व घर का सामाजिक माहौल खराब होता है व

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आने वाले बाहरी व्यक्तियों द्वारा घर में बेहद गंदी व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रार्थी का अपनी पत्नी के साथ इस असभ्य माहौल में रहना दूभर हो गया। रेस्पोडेंट की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी व सुदृढ़ है, वह आर्थिक रूप से सम्पन्न है जिसके पास इण्डियन ऑयल की अलवर जिले की व्यवसायिक गैस एजेन्सी है जिससे उसको करीब 2 लाख रूपया मासिक आमदनी होती है। रेस्पोडेंट की पत्नी श्रीमती ज्योति गुप्ता शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है जिसकी मासिक आय करीब डेढ़ लाख रूपया प्रतिमाह है। रेस्पोडेंट का पुत्र मेहुल गुप्ता मल्टीनेशनल कम्पनी VISA में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर 30 लाख रूपया सालाना के पैकेज में कार्यरत है। इस प्रकार रेस्पोडेंट के परिवार की मासिक आय करीब 6 लाख रूपया महिना है व अन्य अचल सम्पत्तियां हैं। दो कार व ट्रक है उसके बाद भी रेस्पोडेंट के लालच की कोई सीमा नहीं है और वह अपने बुजुर्ग पिता को उसके स्वयं के मकान में शान्ति से नहीं रहने देता और मकान खाली नहीं कर रहा है। मिन अपीलांट ने सन् 2002 में शुरूआती राशि करीब दो लाख रूपया देकर एक प्लॉट डी–132, सूर्य नगर, अलवर रेस्पोडेंट के नाम से खरीद कर दिया था जिसकी कीमत वर्तमान में करीब डेढ़ करोड़ रूपया है वह उसमें मकान बनाकर रह सकता है परन्तु जानबूझकर वहां नहीं रहता। इसके अलावा रेस्पोडेंट ने गैस एजेन्सी के गोदाम हेतु जायदाद वाके बहादुरपुर में खरीदी गई थी जिसमें भी 2 लाख रूपये की राशि मिन अपीलांट द्वारा दी गई थी। जिस गोदाम की वर्तमान में अनुमानित कीमत 40 लाख रूपये है। अप्रार्थी रेस्पोडेंट व उसकी पत्नी का व्यवहार पिछले कुछ वर्षों से अत्यन्त हिंसक हो गया है, रेस्पोडेंट बात–बात में हिंसक होकर अपीलांट व उसकी पत्नी को मारने पर उतारू हो जाता है व बेहद गन्दे अल्फास (शब्दों) से बोलकर सबके सामने अपमानित करता है व आये दिन विभिन्न प्रकार की मानसिक व शारीरिक हिंसाएं कारित करता है व सामाजिक रूप से अपमानित करता है। कुछ समय पूर्व ही रेस्पोडेंट ने अपनी मां के साथ हाथ उठाकर मारपीट तक कर दी, रेस्पोडेंट ने लकड़ी के बैट से मारा जो बैट उसकी मां के न लगकर फ्रीज पर लगा जिससे फ्रीज टूट गया। इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट व उसकी 75 वर्षीय पत्नी के साथ अत्यन्त अमानवीय व्यवहार किया गया है। जिसके बावजूद अधिनस्थ अधिकरण ने वृद्ध दम्पत्ति की सुरक्षा बाबत कोई उचित आदेश पारित नहीं किया। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि रेस्पोडेंट पूर्व में अलवर अरबन कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत था जिसको अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ गाली गलौच, मारपीट व बैंक के कम्प्यूटर से जरूरी दस्तावेजों को नष्ट करने की वजह से बैंक से सन् 2010 में टर्मीनेट कर दिया गया था। इस प्रकार रेस्पोडेंट आदतन हिंसक प्रवृति का व्यक्ति है। हिंसक व्यवहार के कारण अपीलांट का दूसरा पुत्र लवेश गुप्ता आज से करीब एक–डेढ़ साल पूर्व से ही अपना घर शालीमार में फ्लैट में अपने परिवार सहित रहने लग गया। अपीलांट व उसकी पत्नी अपने इसी मकान 431, स्कीम नं. 2, अलवर में ही रह रहे थे परन्तु रेस्पोडेंट के आये दिन के हिंसक मारपीट वाले क्रूर व्यवहार के कारण मिन अपीलांट को अपनी पत्नी के साथ उक्त मकान को मजबूरन छोड़ना पड़ा जहां पर अपीलांट को अपना स्वयं व अपनी पत्नी का समस्त सामान, कपड़े, दस्तावेज सूई से लेकर एसी तक को वहीं छोड़ना पड़ा और जिसके बाद वह अपना घर शालीमार में रहने लगे। मिन अपीलांट ने रेस्पोडेंट को अपने मकान में रहने की मौखिक सहमति इस शर्त व उम्मीद से दी थी कि वे वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करेगा व अच्छा आचरण व व्यवहार करेगा परन्तु रेस्पोडेंट अच्छा आचरण व व्यवहार करने के बजाये अपीलांट व उसकी पत्नी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लग गया जिससे दुःखी होकर मजबूरन प्रार्थी अपीलांट को स्वयं का मकान होते हुए शालीमार में फ्लैट में रहना पड़ रहा है जहां फ्लैट में अपीलांट व उसकी पत्नी का मन नहीं लगता है। वे अपने स्वयं के मकान में आत्म सम्मान के साथ शांतिपूर्ण गरिमामय जीवनयापन करना चाहते हैं परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब रेस्पोडेंट उक्त मकान खाली करके दूसरी जगह रहने लगे। अपीलांट व उसकी पत्नी के साथ अप्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा किये जा रहे क्रूरतम व्यवहार के कारण अपीलांट वृद्ध दम्पत्ति का रेस्पोडेंट के उस

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मकान में रहते हुए रहना सम्भव नहीं है। मकान नं. 431, स्कीम नं. 2, अलवर अपीलांट की सेल्फ एक्वायर्ड जायदाद है जिसका वह पूर्ण रूपेण मालिक है जिसको वह अपने पुत्र रेस्पोडेंट से खाली कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वृद्ध दम्पत्ति की सुरक्षा बाबत आदेश ही पारित नहीं किये जो कि इस अधिनियम की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। अधिनस्थ अधिकरण के निर्णय दिनांक 08.09.2022 से अपील हाजा अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ अधिकरण का निर्णय दिनांक 08.09.2022 को अपास्त कर अपीलांट के खरीदशुदा व निर्मित सेल्फ एक्वॉयर्ड मकान नं. 431, स्कीम नं. 2, अलवर से रेस्पोडेंट के कब्जे में चले आ रहे परिसर को खाली करवाया जाकर अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया जावे व रेस्पोडेंट को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी/अपीलांट वृद्ध दम्पत्ति को मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से परेशान व अपमानित नहीं करे, मारपीट नहीं करे, अपीलांट दम्पत्ति के जान माल की सुरक्षा के आदेश फरमाये जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय वास्तविक तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं के आधार पर पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं याचिका व जवाब याचिका में दर्ज तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधि0 न्यायालय के समक्ष याचिका महज रैस्पोडेन्ट को तंग परेशान करने की गरज से पेश की है। जिस पर वास्तविक एवं कानूनी तथ्यों से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विचारण किया गया और पत्रावली पर अवस्थित दस्तावेजी साक्ष्य, तथ्यों के आधार पर निर्णय प्रतिपादित किया गया है। यह कहना गलत है कि अपीलान्ट की ओर से पेश न्यायिक निर्णयों को अधि0 न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण से पढा न हो। जब कोई निर्णय किसी प्रकरण पर चस्पा नहीं होता तो वह न्यायिक निर्णय मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होता। उक्त विवादित जायदाद हिन्दू मुश्तरका खानदान (HUF)की अबट सम्पत्ति है एवं इस बाबत पूर्व से अन्य सिविल न्यायालयों में वाद विचाराधीन है और उक्त जायदाद हिन्दु अविभाजित परिवार की अबट सम्पत्ति है, जिसमें परिवाद के प्रत्येक सदस्य का हक निहित है जो जायदाद किसी भी प्रकार अपीलान्ट की स्वःअर्जित आय से खरीद की हुई जायदाद नहीं है अपीलान्ट श्री लल्लूराम गुप्ता जी स्वंय पीएचईडी विभाग से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पद से सेवानिवृत व्यक्ति है जिन्हे वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से तकरीबन 80,000/–रूपये मासिक पेंशन एवं अन्य खर्चे उपलब्ध कराये जाते है। अपीलान्ट श्री लल्लूराम गुप्ता जी द्वारा (HUF) की आय से अपने स्वंय के नाम से खरीद एक जायदाद डी–35, अम्बेडकर नगर अलवर के रिकॉर्ड में छोटे भाई लवेश गुप्ता जो कि वर्तमान में भारत सचांर निगम लि0 कार्यालय अलवर में सबडीविजनल इन्जीनियर के पद पर कार्यरत है का नाम गुपचुप तरीके से जुडवां दिया। उक्त जायदाद डी–35, अम्बेडकर नगर अलवर जिसका मूल्य करीब एक करोड 70 लाख व जायदाद फ्लैट नं0 बी–2/17 अपना घर शालीमार मूल्य करीब 01 करोड़ रूपये व एक कार को लवेश गुप्ता को देने व विवादित जायदाद प्लाट नं0 431, लाजपत नगर अलवर को रेस्पॉडेन्ट मिन प्रार्थी को बंटवारा के तौर पर देकर कब्जा सम्भलवा दिया था। जिसकी रिकार्डिंग CCTV फुटेज में भी है जो संलग्न सीडी द्वारा पेश है गौरतलब है कि पूरे मकान में सुरक्षा की दृष्टि से अन्दर व बाहर CCTV कैमरा लगे हुए है। उक्त जायदाद एवं HUF की अन्य जायदाद की बाबत एक सिविल वाद माननीय सिविल वाद माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय संख्या 1 अलवर में बउनवान महेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम श्री लल्लूराम गुप्ता जी व अन्य दायद किया हुआ है। जिस वाद में उक्त जायदाद विवादित है। चूकिं उक्त जायदाद में मिन रेस्पॉडेन्ट का भी हिस्सा है जिस तथ्य को छिपाते हुए मौजूदा अपील दायर की गई है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है और काबिल खारिज है। अपीलान्ट द्वारा जिस न्यायिक दृष्टान्त का उल्लेख अपील हाजा में किया गया है वह न्यायिक निर्णय मौजूदा प्रकरण

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पर लागू नहीं होता बल्किः– (A) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3822/2020 बउनवान S.Vanita V/s The Deputy Commissioner में अपने न्यायिक निर्णय दिनांक 15.12.2020 में स्पष्ट रूप से आदेशित किया है किः– Point no 22- "Section 3 of the senior citizens Act 2007 cannot be deployed to over-ride and nullify other protections in law" Ponit no. 24- "The claim cannot simply be obviated by evicting the appellant in exercise of the summary powers entrusted by the senoir citizens Act 2007" अधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ नागरिको का भरा पोषण व कल्याण अधि0 2007 के तहत किसी तरह का कोई बेदखल (Eviction) नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायाल के आदेश की पालना है। (B) माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP-4744/2018 Simrat Randhawa V/S State of Punjab And Ors. में अपने न्यायिक निर्णय दिनांक 23.01.2020 बतौर नजिर पेश है। जिससे स्पष्ट है कि The Maintenance Tribunal Is Not An Eviction Tribunal. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायाल के आदेश की पालना है। चूंकि उक्त जायदाद किसी भी प्रकार से अपीलांट की निजी स्वअर्जित आय से खरीद की हुई जायदाद नहीं है जो जायदाद हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की सम्पत्ति है, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का हक निहित है जो जायदाद किसी भी प्रकार अपीलांट की स्वअर्जित आय से खरीद की हुई जायदाद नहीं है। उक्त जायदाद एवं हिन्द मश्तरका खानदान (HUF) की अन्य जायदाद की बाबत मिन रेस्पो0 द्वारा एक सिविल वाद माननीय सिविल न्यायाधीश सं0 1 अलवर में उनवान महेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम लल्लूराम गुप्ता वगै0 दायर किया हुआ है। जिस वाद में उक्त जायदाद विवादित है चूंकि उक्त मकान में मिन रेस्पो0 का भी हिस्सा है। अपीलांट की कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर प्रथम नियुक्ति अगस्त 1963 में हुई जिस समय अपीलांट को अपने विभाग से केवल मात्र 140/– रूपये वेतन मिलता था जिसमें से कटौती पश्चात उन्हे कुल वेतन 109/– रूपये प्राप्त होता था जिसके समर्थन में रेस्पो0 द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 8594 दिनांक 11.11.1963, पत्रांक 11336/पीसी/195045 दिनांक 20.02.1965, राज्य बीमा विभाग राज0 जयपुर वार्षिक कटौती विवरणपत्र एवं अपीलांट का अगस्त 1963 से 1980 तक का वेतन स्टेटमेंट की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है जो पत्रावली पर उपस्थित है। जिससे न्यायालय को स्पष्ट होगा कि अपीलांट को माह 12/1974 तक वेतन के रूप में कुल 24,797/– रूपये कटौती पश्चात प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अपने तीन नाबालिग बच्चों ओर पत्नी का पालन पोषण वह खाना रहना व किराये के मकान में रहना आदि भी किया गया। सन् 1975 में उनके द्वारा नगर विकास न्यास को प्लॉट सं0 431 स्कीम नं 2 अलवर की कीमत 26,700/–रूपये एवं स्टाम्प ड्यूटी व अन्य खर्च अदा करके कैसे खरीदना सम्भव था। उक्त प्लॉट हिन्दू मुश्तरका खानदार (HUF) की आय से खरीदा गया एवं हिन्दू मुश्तरका खानदान (HUF) की अबट सम्पत्ति है। अपीलांट अपने अविभाजित कुटुम्ब से पूर्व अपने बुजुर्गान के शामलाती परिवार के सदस्य थे। जिस अविभाजित जायदाद के विभाजन हेतु स्वंय अपीलांट के द्वारा एक दावा बाबत तकसीम वाद सं0 5/2002 न्यायालय जिला न्यायाधीश अलवर की अदालत में दायर किया गया। दावा सं0 5/2002 में पेज नं0 8 लाईन नं0 10 पर यह अंकित किया गया कि "वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 03 के पिता रामदयाल पुत्र रामचन्द्र हिन्दू मुश्तरका खानदान के कर्ता थे, जिनका देहान्त सन् 1969 में हो गया उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 रामकिशोर मुश्तरका खानदान के कर्ता बने हिन्दू मुश्तरका खानदान की कुल सम्पत्ति संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई व बनाई गई है। अतः कुल जायदाद हिन्दू मुश्तरका खानदार की अबट सम्पत्ति है" तथा इसी दावा में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 21.05.2002 में अंकित है कि "जिसमें अलवर शहर में जो मकान व दुकान जिनके पास है वह उसी की रहेगी" उक्त सम्पत्ति हिन्दू मुश्तरका खानदान की अबट सम्पत्ति है। अपीलांट द्वारा जिस न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख अपील हाजा में किया गया है वह न्यायिक निर्णय मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होता बल्किः– (A) माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा एसबी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

सिविल रिट नं0 1936/2022 विनोद शर्मा बनाम शांति देवी वगै0 में अपने निर्णय दि0 21.02.2022 बतौर नजिर पेश है। (B) माननीय Supreme court of india की वृहद बैंच के द्वारा Civil Appeal No. 6520 Of 2003 With Civil Appeal No. 6521-6537 of 2003 And Civil appeal No. 6538 of 2003 K.T. Plantation Pvt. Ltd. & Anr vs State Of Karnataka में न्यायिक निर्णय दिनांक 09.08.2011 बतौर नजिर पेश है। अपीलांट द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न हर वर्ष दाखिल की जा रही है, और शेष रकम अपीलांट द्वारा कर्ता खान दान होने के कारण अलग–अलग जगह निवेश की गई। परिवार के प्रत्येक सदस्य का अबट जायदाद में बहिस्सा बराबर मालिकाना हक है।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP-13505/2021 सुदर्शन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा वगै में न्यायिक निर्णय दिनांक 23.01.2020 बतौर नजिर पेश है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि मिन रेस्पो0 द्वारा हाल ही तक भी अपीलांट की देखरेख व महंगे से महंगा ईलाज व जांच इत्यादि करवाया है। रेस्पो0 की माताजी को दिनांक 13.02.2021 को कुछ परेशानी होने पर रेस्पो0 ने तुरंत सोलंकी हॉस्पीटल में दिखाया तथा ई0सी0जी0 व अन्य जांच करवाया। इसी तरह दि0 18.01.2021 को रेस्पो0 ने अपने पिताजी अपीलांट की समस्त जांचे सोलंकी हॉस्पीटल अलवर में करवाई इसके बाद दि0 27.02.2021 को डॉ0 गोपाल प्रसाद गुप्ता देवजन आई केयर सेंटर अलवर पर आंख एवं रेटिना आदि की जांच करवाई है। अपीलांट व रेस्पो0 का परिवाद हमेशा से संयुक्त परिवार के रूप में रहा है व परिवार में होने वाले सभी आयोजन एवं पारिवारिक समारोह सभी संयुक्त रूप से हर्षोल्लास से मनाते आ रहे है। जिनकी सीडी व फोटोग्राफ्स पेश है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP-9971/2020 Pradeep Choudhary V/s State Of haryana And Ors. में न्यायिक निर्णय दिनांक 23.01.2020 बतौर नजिर पेश है। मिन रेस्पो0 द्वारा अपीलांट व माता को अपने साथ चल कर रिहायश करने के लिए निवेदन किया जा चुका है। अपीलांट ने स्वंय व पत्नी को बीमान होना जाहिर किया है। मिन रेस्पो0 अपीलांट का बडा पुत्र है और मिन रेस्पो0 द्वारा अपने माता–पिता की अपने जीवन में सदैव सेवा सुश्रा की ओर जब–जब भी अपीलांट को अपनी सन्तान की आवश्यकता हुई तब–तब मिन रेस्पो0 हमेशा तन–मन–धन से अपने पिता के साथ रहा सन 1996 में अपीलांट को स्लिप डिस्क की परेशानी हुई जिसका ईलाज एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में चला, जहां पर अपीलांट 2 महिने तक भर्ती रहे और उस दौरान अकेले मिन रेस्पो0 द्वारा ही अपने पिता की सेवा सुश्रा की और सन 1996 में अपीलांट का ऑपरेशन हुआ जिस कारण लंबे अरसे से बिस्तर पर थे उनके लैटरीन, बाथरूम भी मिन रेस्पो0 द्वारा ही करवाया जाता। हाल ही में भी अपीलांट की देखरेख व ईलाज करवाया है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 को अपने अधिवक्ता की ओर से दिये गये नोटिस दि0 23.10.2021 एवं नोटिस दि0 27.10.2021 में अंकित किया है कि सन 1980 मे मेरे पक्षकार ने अपने खरीदशुदा प्लॉट में अपनी निजी कमाई हुई लागत से निर्माण कार्य करवाकर पूरा मकान बनाया जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर 06 कमरे, 02 रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, जीना, गैराज बनाया व एक कमरा प्रथम मंजिल पर बनाया। जो दोनो तथ्य आपस में विरोधाभाषी तथ्य है। जिसके संबंध में निवेदन है कि अपीलांट ने मूल याचिका में अंकित किया है कि "दिनांक 05.03.1976 को अपने नाम पंजीकृत कराई व मिन प्रार्थी अपने खरीदशुदा प्लॉट में अपनी निजी कमाई हुई लागत से निर्माण कार्य करवाकर पूरा मकान बनाया जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर 06 कमरे, 02 रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, जीना, गैराज बनाया व एक कमरा प्रथम मंजिल पर बनाया। जो समस्त निर्माणात अपीलांट ने अपनी निजी कमाई से कराये है क्योंकि सन् 1980 में अपीलांट के सभी बच्चे नाबालिग थे" इस प्रकार इन विरोधाभाषी तथ्यों से स्पष्है कि विवादित प्लॉट में सन् 1980 से पूर्व ही समस्त निर्माण पूरा कराया जा चुका था जहां तक स्वंय की लागत से अपीलांट द्वारा निर्माण करना जाहिर किया है उसके संबंध में निवेदन है कि अपीलांट को जनवरी सन 1975 से वेतन के रूप में 260/– रू0 कटौती के बाद प्राप्त होता था और जनवरी 1975 से मार्च 1980 तक अपीलांट के वेतन के रूप में केवल मात्र 38,130/– रू0 प्राप्त हुआ जिस राशि में से

Collector
अलवर (राज0)

अपने तीन नाबालिग बच्चो व पत्नी का पालन–पोषण किया। मिन रेस्पो0 गैस एजेन्सी संचालित करता है और पत्नी शिक्षा विभाग से शिक्षक है और पुत्र इन्जीनियर है जो अलवर शहर से बाहर रहता है। रेस्पो0 के पास किसी भी प्रकार से 06 लाख रूपये की मासिक आय नहीं और ना ही मिन रेस्पो0 लालची प्रवृति का व्यक्ति है। विववादित प्लॉट को बाले बाले प्रोपर्टी डीलरों के माध्यम से स्वंय के नाम होने का गलत फायदा उठाकर बेचान करने पर अमादा है। कई बार स्वंय अपीलांट व छोटा पुत्र लवेश गुप्ता ने प्रोपर्टी डीलरों को लाकर उक्त प्लॉट को बेचान करने का प्रयास कर चुके है लेकिन अपीलांट अपनी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाने के कारण मौजूदा प्रकरण न्यायालय में लेकर आया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान कभी जाहिर ही नहीं किया गया, जो तथ्य अपील हाजा में दर्ज किये गये है। मिन रेस्पो0 व उसकी पत्नी के द्वारा हिंसक झडप करने और मारपीट करने का कथन है नितांत मनगढंत है। मिन रेस्पो0 द्वारा अपनी माता केसर गुप्ता के साथ मारपीट की हो चूंकि प्रथमदृष्ट्या उक्त तथाकथित घटना स्वंय ही सन्देहास्पद है। चूंकि ऐसे कोई फोटो ग्राफ अपीलांट की ओर से पेश नहीं किये गये है। इसके विपरीत अपीलांट स्वंय बेईमान एवं भ्रष्टतक अधिकारी रहे है। इने भ्रष्टाचार एवं बेईमानी के कारण इन्हें पत्र दिनांक 04.10.1996 के द्वारा पदावन्त (Demotion) कर दिया गया। इतना ही नहीं इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में निम्न 03 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 1. एफआईआर सं0 101/2007 अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी पुलिस थाना एसीबी प्र0आ0केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 2. एफआईआर सं0 102/2007 अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी पुलिस थाना एसीबी प्र0आ0केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 3. एफआईआर सं0 204/2007 अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 469, 470, 471 एवं 120बी पुलिस थाना एसीबी प्र0आ0केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर दर्ज हुई। अपीलांट स्वंय एवं उनकी पत्नी केसर गुप्ता विगत लम्बे समय से अपने छोटे पुत्र लवेश गुप्ता के साथ फ्लैट नं0 बी–2/17 अपनाघर शालीमार अलवर में रिहायश कर रहे है जब अपीलांट प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ उक्त जायदाद में रिहायश ही नहीं करते तो उनके साथ हिंसा करने या मारपीट करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है चूंकि अपीलांट अपने छोटे पुत्र लवेश गुप्ता के बेजा प्रभाव में होने के कारण मिन रेस्पो0 को जबरन उक्त जायदाद एवं अविभाजित हिन्दू मुश्तरका खानदान में शामलात में रहते हुए खरीद की गई अन्य चल व अचल सम्पत्ति को हडपने की गरज से बेजा तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण एक प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 07 नियम 11 जा0दि0 के तहत पेश किया गया जिस प्रा0पत्र का निस्तारण किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल याचिका का निस्तारण कर दिया गया जबकि प्रा0पत्र कानूनन निस्तारित किया जाना आवश्यक था, किन्तु ऐसा नहीं करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट द्वारा विवादित प्लॉट में उनके द्वारा 9,00,000/– रूपये की लागत लगाई गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जिस दावा बउनवान लल्लूराम बनाम रामकिशोर वगै0 को उल्लेख किया है वह दावा अपीलांट द्वारा अपनी पुश्तैनी खेती की आराजी वाके ग्राम बीजवाड के बंटवारा बाबत किया गया था। उस दावा में उक्त प्लॉट नं0 431 स्कीम नं0 2 का कोई जिक्र नहीं था ना ही हो सकता था। जिसके संबंध में निवेदन है कि उक्त दावा में वादी ने स्वंय को प्लॉट नं0 431 स्कीम नं0 2 लाजपत नगर अलवर का रहने वाला बताया है। पूर्व में अपीलांट को सर्वाइकल स्पोनडिलाईटिस की बीमारी हो गई जिसमें अचानक चक्कर आना तथा गर्दन में अत्यधिक परेशानी रहने लग गई जिस कारण अपीलांट को कई बार सडक पर ही चक्कर आने के कारण गिर जाने के कारण वहां से बमुश्किल मिन रेस्पो0 के द्वारा ही मौके पर जाकर उन्हे डॉक्टर को दिखाया जाता जिस पर कई बार मिन रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया करवाकर ईलाज करवाया गया। मिन रेस्पो0 अपने परिवार में बडा पुत्र है जिस कारण सभी जिम्मेदारी मिन रेस्पो0 द्वारा ही निर्वाह की

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जाती रही है और अपने पिता व छोटे भाई को समय समय पर मानसिक व शारीरिक रूप से मिन रेस्पो0 द्वारा ही सहयोग प्रदान किया गया है और अपीलांट व मिन रेस्पो0 को छोटा भाई लवेश गुप्ता जो किडनी की बीमारी से ग्रसित था जिसक समय समय पर जयपुर व गुडगावां में ईलाज कराया और जयपुर एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और मेदान्ता हॉस्पिटल गुडगावं में किडनी का ऑपरेशन करवाया गया। अतः अपील अपीलांट कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 08.09.2022 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रकरण मकान से बेदखली का प्रतीत होता है। उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ना ही उक्त बिन्दू पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने परिवाद में भरण–पोषण एवं विवादित मकान सं0 431, स्कीम नंबर 2, लाजपत नगर, अलवर से रेस्पो0 की बेदखली चाही है। यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णन अनुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (EVICTION) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पक्षकारों के मध्य उक्त विवादित प्लॉट को लेकर के सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। जिसमें उक्त विवादित प्लॉट के संबंध में पक्षकारों के अधिकार सिद्ध होने है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 08.09.2022 उचित प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 08.09.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान